

प्राधिकृत अधिकारियों का प्रशिक्षण


आदित्य अग्निहोत्री

राज्य सलाहकार

राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड



सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद
(विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा
वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण
का विनियमन) अधिनियम, 2003
— कोटपा, 2003



संक्षिप्त परिचय

धारा	विषय
धारा 1	संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ
धारा 2	संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा
धारा 3	परिभाषाएं
धारा 4	सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध
धारा 5	सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिषेध
धारा 6	अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, और विशिष्ट क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध
धारा 7	सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा उनके उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर निर्बन्धन
धारा 8	वह रीति जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी दी जायेगी

धारा	विषय
धारा 9	वह भाषा जिसमें विनिर्दिष्ट चेतावनी अभिव्यक्ति की जायेगी
धारा 10	अक्षरों और अंको का आकार
धारा 11	निकोटीन तथा टार अंतर्वस्तु के परीक्षण प्रयोगशाला
धारा 12	प्रवेश करने और तलाशी की शक्ति
धारा 13	अधिग्रहण की शक्ति
धारा 14	पैकेज का अधिहरण
धारा 15	अधिहरण के बदले खर्च का संदाय करने का विकल्प देने की शक्ति
धारा 16	अधिहरण का अन्य दंडों मे बाधा न होना

धारा	विषय
धारा 17	न्यायनिर्णयन
धारा 18	अभिग्रहण किये गये पैकेजों के स्वामी को अवसर देना
धारा 19	अपील
धारा 20	विनिर्दिष्ट चेतावनी देने और निकोटीन तथा टार अंतर्वर्स्तु का उपदर्शन करने में असफल रहने पर दंड
धारा 21	कतिपय स्थानों में धूम्रपान के लिए दंड
धारा 22	सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड
धारा 23	विज्ञापन तथा विज्ञापन सामग्री का समर्पण
धारा 24	कतिपय स्थानों में या अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को सिगरेटों या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए दंड

धारा	विषय
धारा 25	धारा 4 और धारा 6 के अधीन अपराधों के निवारण, निरोध और विचारण का स्थान
धारा 26	कंपनियों द्वारा अपराध
धारा 27	अपराधों का जमानतीय होना
धारा 28	अपराधों का शमन
धारा 29	सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाही के लिए संरक्षण
धारा 30	अनुसूची में किन्हीं तम्बाकू उत्पादों को जोड़ने की शक्ति
धारा 31	केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
धारा 32	ऐसी सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों अधिनियम का लागू न होना जिनका निर्यात किया जाता है

धारा 4— सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का प्रतिषेध

1. सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि :
 - (क) कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान न करे (उसके क्षेत्राधिकार / अन्तर्निहित के अधीन)
 - (ख) सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वार पर, यदि एक से ज्यादा प्रवेश द्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वार और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान (स्थान) पर बोर्ड प्रमुख रूप में लगाया जाना चाहिए।
 - (ग) धूम्रपान को सुविधाजनक बनाने वाली किसी भी एस्ट्रे, माचिस, लाइटर या इस प्रकार की डिजाइन की गई वस्तु को सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध नहीं करवाया जाना चाहिए।

- (2) सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी उस व्यक्ति (व्यक्तियों) जो इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, का नाम अधिसूचित करेगा और प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।
- (3) यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उल्लंघन सूचित करने पर कार्यवाई करने में असफल रहता है तो मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना अदा करने का जिम्मेदार होगा।

होटल, रेस्तरां एवं हवाईपत्तन में धूम्रपान से सम्बंधित

- (1) तीस या अधिक कमरों वाले होटल या तीस व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां का मालिक, स्वामी, प्रबंधक या कार्य प्रभारी तथा हवाईपत्तन का प्रबंधक यथापरिभाषित धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान की व्यवस्था कर सकता है।
- (2) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान होटल, रेस्तरा और हवाईपत्तन के प्रवेश द्वार या निकास द्वार पर स्थापित नहीं किया जाएगा और इसे अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा जो लागू हो, में “धूम्रपान क्षेत्र” के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाएगा।
- (3) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान का इस्तेमाल धूम्रपान के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा और कोई अन्य (सेवा) सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (4) तीस या अधिक कमरों वाले होटल का मालिक, स्वामी, प्रबंधक, पर्यवेक्षक या कार्य प्रभारी निर्धारित तरीके से पृथक धूम्रपान कमरों को नामोदिदष्ट कर सकता है।

“सार्वजनिक स्थान” की परिभाषा

“सार्वजनिक स्थान” से ऐसा कोई स्थान अभिप्रेत है जहां जनता की पहुंच हो, चाहे साधिकार हो या न हो और इसके अंतर्गत सभागार, अस्पताल भवन, रेल प्रतीक्षालय, आमोद केन्द्र, भोजनालय, लोक कार्यालय, न्यायालय भवन, शैक्षिक संस्थाएं, पुस्तकालय, लोक वाहन, जन-सुविधा केन्द्र, खुला सभागार, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप / स्टैंड, समस्त कार्य स्थल, जलपान गृह, बैंकवेट हॉल, डिस्को केन्द्र, कैटीन, कॉफी हाउस, पब्स, बार, शॉपिंग माल, सिनेमा हॉल, एअरपोर्ट लाउंज और ऐसे स्थान भी हैं जहां साधारण जनता को आना-जाना होता है, किंतु इसके अंतर्गत कोई खुला स्थान नहीं है।

उल्लंघन करने पर दंड

धारा 21 के अनुसार

- जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह जुमानि से जो ₹200/- दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
- इस धारा के अधीन अपराध शमनीय होगा और उसका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

चेतावनी बोर्ड की बनावट

Legal Board Eng 18" x 24"



यदि यहां कोई धूम्रपान करता है, तो कृपया निम्न अधिकारी को शिकायत दर्ज करायें

श्री..... पद.....

फोन / मोबाइल नं.

चेतावनी बोर्ड का विनिर्देशन

- बोर्ड न्यूनतम 60सेमी0 X 30सेमी0 आकार का सफेद पृष्ठभूमि का होगा ।
- इसमें कम से कम 15 सेमी0 बाह्य का एक चक्र होगा जिसके कम से कम 3सेमी0 चौड़ी लाल परिमिति होगी, जिसके क्रेन्द्र में काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी का चित्र होगा और यह लाल पट्टी से रेखित होगा ।
- सिगरेट के आर पार लाल पट्टी की चौड़ाई लाल परिमिति की चौड़ाई के बराबर होगी ।
- बोर्ड पर अंग्रेजी में अथवा किसी भारतीय भाषा में जो लागू हो चेतावनी होगी, श्शधूम्रपान निषेध क्षेत्र – यहाँ धूम्रपान करना अपराध है ।

धारा 6क – अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को तथा उसके द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध

- सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पाद के बिक्री स्थल का मालिक अथवा प्रबंधक अथवा प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि—
 - (क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद के बिक्री स्थल के प्रवेश द्वारा परयथा विनिर्दिष्ट चेतावनी वाला एक बोर्ड लगा हो
 - (ख) वेंडिंग मशीन के जरिए कोई भी तम्बाकू उत्पाद न बेचा जाए
 - (ग) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी तम्बाकू उत्पाद का न तो प्रहस्तन किया जाएगा अथवा न ही बेचा जाएगा
 - (घ) तंबाकू उत्पादों को इस तरीके से प्रदर्शित न किया जाए जिससे अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को तंबाकू उत्पाद सहजता से सुलभ हों।

2. इस बात को सिद्ध करने कि तम्बाकू उत्पाद का खरीददार अठारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं है, का उत्तरदायित्व तम्बाकू उत्पादों के विक्रेता का है तथा विक्रेता संदेह की स्थिति में खरीददार से अठारह वर्ष की आयु पूरी होने संबंधी उपयुक्त साक्ष्य अथवा आयु का प्रमाण प्रदान करने हेतु अनुरोध कर सकता है।

बोर्ड का प्रदर्शन



अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की खिल्की दंडनीय अपराध है

विकल्प—1



तम्बाकू जानलेवा है

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की खिल्की दंडनीय अपराध है

विकल्प—2



Sale of tobacco products to a person below the age of eighteen years is a punishable offence.



Sale of tobacco products to a person below the age of eighteen years is a punishable offence.


बोर्ड का आकार तथा चेतावनी

- बोर्ड का न्यूनतम आकार 60 सें.मी. X 30सें.मी. होना चाहिए जिसकी पृष्ठभूमि सफेद होनी चाहिए।
- बोर्ड पर भारतीय भाषा (भाषाओं) में, जैसा भी लागू हो, यह चेतावनी लिखी हुई हो “अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है” तथा स्वास्थ्य पर तम्बाकू उपयोग के दुष्प्रभाव का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया हो।

धारा 6ख – शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज के दायरे में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के बिक्री पर प्रतिबंध

- (1) बोर्ड का प्रदर्शन— शैक्षिक संस्था के कार्यकलापों का मालिक अथवा
प्रबंधक अथवा प्रभारी कोई व्यक्ति परिसरों के बाहर मुख्य स्थान (स्थानों)
पर एक बोर्ड प्रदर्शित करेगा जिस पर सुस्पष्ट रूप से यह लिखा होगा कि
शैक्षिक संस्था के 100 गज के दायरे के भीतर आने वाले क्षेत्र पर सिगरेट
और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है
- (2) दूरी की माप— 100 गज की दूरी को शैक्षिक संस्था की चारदीवारी बाड़
अथवा जैसा भी मामला हो, की बाहरी सीमा से त्रिज्य के आधार पर मापा
जाएगा ।

बोर्ड का प्रदर्शन



3'x2'

Welcome To Tobacco Free School

Warning

"Sale of Cigarettes & Other Tobacco Products
in an area within the radius of 100 yards of
any educational institution is strictly prohibited"

It is a punishable offence with
a fine which may extend to Rs.200/-
under COTPA 2003.

SMOKEFREEDELHI
Caring for Right to breathe clean

www.smokefreedelhi.org
Helpline: 1800110456



उल्लंघन करने पर दंड

धारा 24 के अनुसार

- (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 6 के तथा ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी होगा और जुर्माने से, जो ₹200/- दो सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
- (2) इस धारा के अधीन सभी अपराध शमनीय होंगे और उनका दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संक्षिप्त विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त विचारण किया जाएगा।

अर्थदण्ड जमा करने का लेखा शीर्षक

वसूले गए अर्थदण्ड (माननीय न्यायलय अथवा किसी भी विभाग के द्वारा) को निम्न लेखा शीर्षक के उप-शीर्षक में जमा की जानी है:

- | | |
|-----------------|---|
| मुख्य शीर्षक | – 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य |
| उप मुख्य शीर्षक | – 04 लोक स्वास्थ्य |
| लघु शीर्षक | – 103 फीस और अर्थदण्ड आदि |
| उप शीर्षक | – 03 धूम्रपान प्रतिषेध के अधीन अर्थदण्ड |

अर्थदण्ड की रसीद

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

अर्थदण्ड रसीद

रसीद क्रमांक.....

तिथि.....

जिला

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन)

अधिनियम 2003 की धारा **4 / 6** का उल्लंघन तिथि..... रसायन.....

पर करते हुए पाये जाने के उपरान्त श्री.....

पिता का नाम.....पता.....

.....के द्वारा ₹

शब्दों में

अर्थदण्ड रूपरूप प्राप्त किया ।

उल्लंघनकर्ता के हस्ताक्षर

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

“जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं”

चालान

उत्तराखण्ड शासन

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003

चालान

चालान रसीद क्रमांक.....

जिला

तिथि.....

1. दोषी व्यक्ति का नाम श्री.....पिता का नाम.....
पता.....
2. अपराध का दृश्य जिसमें तिथि, समय, स्थान सहित.....
3. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2003 (2003 का 34) के तहत अपराध का विवरण.....
4. जबकि आपके उक्त वर्णित अपराध के लिए एतद्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है, अतः आपको श्री/श्रीमती/सुश्री.....स्थान.....की कोर्ट में तिथि.....
को.....बजे अपना उत्तर देने के लिए उपस्थित होना आवश्यक है, जब तक कि इस कोर्ट के द्वारा अन्य कोई आदेश जारी नहीं किए जाते।
दोषी व्यक्ति के बाए हाथ के अंगूठे का निशान/ हस्ताक्षर.....
गवाहों के हस्ताक्षर नाम तथा पूरा पता सहित.....
प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पूरा पता सहित.....
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर.....

“जिन्दगी चुनो, तम्बाकू नहीं”

कार्यवाही करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति	कार्यवाही करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति
निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं	स्टेशन मास्टर/ सहायक स्टेशन मास्टर/ स्टेशन हेड/ स्टेशन प्रभारी
राज्य सरकार के प्रशासनिक प्रभारी अधिकारी	पोस्टमास्टर तथा ऊपर के अधिकारी
नोडल अधिकारी/जिला एवं राज्य स्तर पर तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के फोकल प्वाईट	संस्था का प्रमुख/ एच आर प्रबंधक/ प्रशासन प्रमुख
निदेशक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ चिकित्सा अधीक्षक /अस्पताल प्रशासक	हवाई पत्तन प्रबंधक/ भारतीय वायुपत्तन प्राधिकरण के अधिकारी तथा सभी अनुसूचित एयरलाईंस के अधिकारी
केन्द्रीय उत्पादकर/आयकर/सीमा शुल्क/बिक्रीकर /स्वास्थ्य/परिवहन के निरीक्षक एवं उनसे ऊपर के अधिकारी	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के पुलिस अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारी/अभिहित अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	पुलिस उपनिरीक्षक से अन्यून पद के राज्य औषिधि निरीक्षक/ वरिष्ठ औषिधि निरीक्षक/ औषिधि नियंत्रक
कॉलेज/स्कूल के हेड मास्टर/प्राचार्य/शिक्षक	पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि (सरपंच/पंचायत सचिव)
केन्द्र/राज्य सरकार के समस्त राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत्त संगठनों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी	जिला कार्यक्रम प्रबंधक/वित्त प्रबंधक—जिला स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)
लाइब्रेरियन/सहायक लाइब्रेरियन/लाइब्रेरी प्रभारी/लाईब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टाफ	जिला चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी
	रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार/लोक अभियोजक/सरकारी वकील/न्यायलय परिसर का प्रभारी
	विद्यालय निरीक्षक/जिला शिक्षा अधिकारी
	यातायात अधीक्षक/सहायक यातायात अधीक्षक/बस विराम स्थल अधिकारी/टिकिट संग्राहक या संचालक

धारा 5 – सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापन, प्रोत्साहन, प्रायोजन पर प्रतिषेध

- (1) किसी भण्डारगृह या किसी दुकान, जहां सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पादों के विक्रय के लिए प्रस्थापना की जाती है, के प्रवेश-द्वार पर विज्ञापन के लिए प्रयुक्त बोर्ड का आकार साठ सेंटीमीटर **X** पैंतालीस सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा।
- (2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड पर किसी भारतीय भाषा में, जों लागू हो, निम्नलिखित चेतावनियों में से एक, बोर्ड के शीर्ष किनारे पर प्रमुख रीति से, जिसकी माप बीस सेंटीमीटर **X** पंद्रह सेंटीमीटर में होगी, अर्थातः–
 - (क) तम्बाकू से कैंसर होता है, या
 - (ख) तम्बाकू से मौत होती है।
- (3) निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी प्रमुखता से प्रदर्शित, सुपाठ्य और सफेद पृष्ठभूमि पर केवल काले रंग से लिखी होगी।
- (4) बोर्ड पर उपलब्ध तंबाकू उत्पादों के प्रकार की सूची होगी और बोर्ड पर ब्रांड पैकों के चित्र, तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड या अन्य अभिवृद्धिकारक संदेश या चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। प्रदर्श बोर्ड किसी रीति से पीछे से प्रकाशयुक्त या प्रदीप्त नहीं किया जाएगा।

Photographs



अर्थदण्ड तथा सजा

धारा 22 के अनुसार

- (क) प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो ₹1000/- (एक हजार रुपए) तक का हो सकेगा अथवा दोनों से, और
- (ख) द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो ₹5000/- (पांच हजार रुपए) तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
- (ग) अशमनीय तथा जमानतीय होगा
- (घ) शिकायती केस (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

धारा 7—तंबाकू उत्पाद पैकेज पर विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के चित्रण से सम्बन्धित नियम

- (1) कोई व्यक्ति, तब तक प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का उत्पादन, प्रदान या वितरण नहीं करेगा जब तक कि सिगरेटों या किसी अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर, जो उसके द्वारा उत्पादित किया गया है, प्रदाय किया गया है या वितरित किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है, एक सचित्र चेतावनी सहित ऐसे निर्दिष्ट चेतावनी के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।
- (2) कोई व्यक्ति तब तक सिगरेटों या किन्हीं अन्य तंबाकू उत्पादों का व्यापार या वाणिज्य नहीं करेगा जब तक कि सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर जिसका उसके द्वारा विक्रय, प्रदाय या वितरण किया गया है, विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।
- (3) कोई व्यक्ति तब तक मूल्यवान प्रतिफल के लिए या वितरण या प्रदाय के लिए या भारत में विक्रय के लिए सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों का आयात नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा इस प्रकार आयातित सिगरेटों या अन्य तंबाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज या उसके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी नहीं है।

- (4) ऐसे पैकेज के जिसमें सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद मूल्यवान प्रतिफल के लिए वितरण, विक्रय या प्रदाय हेतु पैक किए गए हैं वृहत्तम पैनलों में से कम—से—कम एक पैनल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी दृश्यमान होगी।
- (5) कोई भी व्यक्ति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्पादन, प्रदाय या वितरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके द्वारा उत्पादित, प्रदाय किए गए या वितरित, यथास्थिति, सिगरेटों या किन्हीं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर या उसके लेबल पर निकोटीन और टार अंतर्वर्स्तु को उसकी अधिकतम अनुज्ञेय सीमा सहित उपदर्शित न किया गया हो, परंतु निकोटीन और टार अंतर्वर्स्तुएं उसकी अधिकतम अनुज्ञेय मात्रा से, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं अधिक नहीं होंगी।

चेतावनी

(1) विभिन्न प्रकार के धूम्रपान वाले तम्बाकू पैकेजों
के लिए



(a)



(b)



(c)

(2) विभिन्न प्रकार के चबाने जाने वाले
अथवा धुंआरहित तम्बाकू पैकेजों के लिए



(a)



(b)



अर्थदण्ड तथा सजा

धारा 20

- (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या ऐसे तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन या विनिर्माण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन और टार अंतर्वर्स्तु नहीं दी गई, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो ₹5000/- (पाँच हजार रुपए) तक का हो सकगा अथवा दोनों से, तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो ₹ 10000/- (दस हजार रुपए) तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
- (2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी सिगरेटों या तम्बाकू उत्पादों का विक्रय या वितरण करेगा जिन पर या तो पैकेज पर या उनके लेबल पर विनिर्दिष्ट चेतावनी और निकोटीन तथा टार अंतर्वर्स्तु नहीं दी गई है, प्रथम दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो ₹ 1000/- (एक हजार रुपए) तक का हो सकेगा अथवा दोनों से तथा द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो ₹ 3000/- (तीन हजार रुपए) तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 4 के प्रभावी क्रियान्वयन के दौरान प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1: क्या प्राधिकृत अधिकारी उल्लंघनकर्ता को रोक सकते हैं?

- हां, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिष्ठेदे और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 25 के तहत, एक प्राधिकृत अधिकारी उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को सहयोग न करने तथा पहचान और पता का खुलासा न किए जाने पर रोक (डिटेन) सकते हैं। प्राधिकृत व्यक्ति उल्लंघनकर्ता को सबसे समीप मजिस्ट्रेट (समान्यतया मुख्य न्यायाधिक मजिस्ट्रेट) के समक्ष शीघ्रता से प्रस्तुत करेगा।

प्रश्न 2 : यदि दोषी व्यक्ति अर्थदंड देने से मना कर दे, उस परिस्थिति में क्या करना चाहिये?

- अर्थदण्ड न देने के दो कारण हो सकते हैं, पहला उसके पास उस समय अर्थदण्ड के लिए धन न हो, ऐसी परिस्थितियों में उसके नाम और पते की पुष्टिकरण करके उसे निश्चित तिथि तथा स्थान पर निपटान का दिशा निर्देश देते हुए चालान दे देना चाहिए। दूसरा, अगर उल्लंघनकर्ता अपनी पहचान जाहिर करने से मना कर रहा हो तब प्राधिकृत व्यक्ति उल्लंघनकर्ता को रोक सकता है और समीप के मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल के लिए ले जा सकता है या उसके साथ के व्यक्ति अथवा परिसर के स्वामी से उल्लंघन कर्ता की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके डाक के द्वारा चालान जारी कर सकता है।

प्रश्न 3 : क्या करें, अगर उल्लंघन कर्ता अपराध की जगह से पलायन कर जाए ?

- इस मामले में सार्वजनिक स्थल के प्रभारी, स्वामी से व्यक्ति के व्यक्तिगत विवरण को जानने का प्रयास करें और उसके डाक पते पर चालान भेजें। अगर प्राधिकृत व्यक्ति किसी विवरण को प्राप्त करने में असफल रहता है तो वह किसी "गुमनाम" व्यक्ति के नाम चालान काट सकता है जिसमें गुमनाम व्यक्ति का लिंग, सभावित उम्र, भौतिक गुण जैसे लंबा, मध्यम, छोटी ऊँचाई, दाढ़ी या बिना दाढ़ी, काला, साफ या गेहुआं रंग तथा उल्लंघन कर्ता के कपड़े के स्टाइल तथा रंग का उल्लेख किया जा सकता है। अधिकृत व्यक्ति अपराध स्थल के बारे में भी विवरण देगा। चालान को मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भेजा जाएगा जहाँ कोर्ट द्वारा पुलिस को उल्लंघन कर्ता को खोजने का निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 4 : क्या करे, यदि उल्लंघनकर्ता प्राधिकृत अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है?

- अगर उल्लंघनकर्ता प्राधिकृत अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उल्लंघन कर्ता पर कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप लगाया जा सकता है। अब उसका ट्रायल भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत किया जाएगा। उल्लंघन कर्ता को हवालात में रोका जा सकता है तथा उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन अगर उल्लंघन कर्ता पलायन करने में सफल हो जाता है और उसकी पहचान भी ज्ञात न हो तो उत्तर संख्या 3 की प्रक्रिया विधि का पालन किया जाएगा।

प्रश्न 5 : क्या कोर्ट में उल्लंघन करने का आरोप गलत साबित होता है तो प्राधिकृत अधिकारियों को गलत चालान काटने के आरोप में दंड दिया जा सकता है?

- सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिष्ठें और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 29 के तहत किसी प्राधिकृत अधिकारियों के खिलाफ अच्छी मंशा से किए गए कार्यवाही के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं की जाएगी ।

प्रश्न 5— जैसे कि होटल आदि में बार-बार उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर क्या कानूनी कार्यवाही की जा सकती है?

- होटल जैसे परिसरों के प्रभारियों, स्वामियों, प्रबंधकों द्वारा बार-बार उल्लंघन किए जाने को अपराधों का उपसमन (एबअमेंट ऑफ ऑफेंसेस) माना जाएगा। आईपीसी की धारा 107 के अनुसार एबेटमेंट को जानबूझ कर किया गया कार्य अथवा प्रतिबधित वस्तुओं का गैर कानूनी लोप के रूप में परिभाषित किया गया है। धूम्रपान मुक्त नियमों की धारा 4 का बार-बार उल्लंघन एबअमेंट ऑफ ऑफेंस माना जाएगा। आईपीसी की धारा 109 और धारा 110 इसके लिए दंड का विधान देगें धारा 4 के उल्लंघन कर्ता को पुलिस द्वारा भी आईपीसी 1860 की धारा 268 के तहत लोक उपद्रव के लिए भी बुक किया जा सकता है जो कि आईपीसी की धारा 290 के तहत दंडनीय है। यह बताना है कि अगर कोई व्यक्ति लोक उपद्रव को बार-बार दोहराता (बंद के करने आदेश के बावजूद) है तो वह आईपीसी की धारा 291 के तहत जुर्माना या जेल अथवा दोनों का भागी हो सकता है। जिसकी अवधि 6 महीने तक की हो सकती है। होटल के स्वामी पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

राष्ट्रीय टोल फ्री नम्बर के टोल फ्री सहायता लाइन/ऑन लाइन
रिपोर्टिंग प्रणाली पर शिकायत की सूचना दी जा सकती है

1800 110 456

या जैसा नियमों में उल्लेख है, उस प्राधिकृत अधिकारी को भी
शिकायत की सूचना दी जा सकती है।

सम्पर्क सूत्र

डा० सुमन आर्य

संयुक्त निदेशक / राज्य नोडल अधिकारी

राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
महानिदेशालय

देहरादून

फोन – 07500111160

आदित्य अग्निहोत्री

राज्य सलाहकार

राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
महानिदेशालय

देहरादून

फोन – 08791000324

www.ukhfwS.org

ପ୍ରକାଶନ